[श्री धर्मवीर]

हाजिर हो गये हैं। अब कोर्ट उनको जमानत पर छोड़ दे तो न्यायालय इसके लिये सक्षम हैं। चाहे वह जमानत ले ले या सजा दे दे।

I have tried my best to meet all the points raised by the hon. Members and I want to express my gratitude to all the Members who have placed these facts before the Government. I am thankful to the press as well as to the hon. Members who raised different points here and brought these facts before us. I assure the House that at no cost are we going to tolerate this system.

Regarding the brick kiln industry I once again tell that we cannot tolerate the exploitation of the labourers, the workers in any industry in the country.

15.38 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Sixty-First Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, with your permission I beg to move:

"That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd April, 1984."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd April, 1984."

The Motion was adopted.

15,40 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to withdraw excise duty on P.V.C. Films, manufactured by Calendering process

भी मेनीराम दागड़ी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गत 20 वर्षों से पी०वी०सी०

फिल्मों का केलेंडरिंग प्रिक्तिया से निर्माण हो रहा है। सरकार ने 6 मध्यम दर्जे के ऐसे कारखानों को इसका लाइसेंस दिया है, जो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मई, 1971 में सभी किस्म की पी०वी०सी० फिल्मों का उत्पा-दन-शुल्क की परिधि में ला दिया गया था। इसके बाद मार्च, 1973 में छोटे कारखानों में केवल एक्सट्र जन प्रक्रिया द्वारा निर्मित पी०वी०सी० फिल्मों की पूर्ण रूप से उत्पादन-शुल्क की अदायगी की छूट दे दी गई थी। स्पष्टतया ऐसा एक्सट्र जन कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। उक्त छूट के फलस्वरूप गत दस वर्षों के दौरान, एक्सट्र जन कारखानों का उत्पादन लगभग 12000 मी०टन प्रति-वर्ष रहा है।

केलेंडर पी०पी०सी० फिल्मों गर उत्पादन-शुल्क की वर्तमान दर 31 के प्रतिशत है। कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्मों तथा एक्सट्रूडिड पी०वी०सी० फिल्मों के बीच इतने भारी अंतर के कारण कैलेंडर कारखाने अपना उत्पादन नहीं वेच पाए।

कैलेंडर कारखानों की 16,3000 मी० टन प्रति-वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के बजाए गत वर्ष का उत्पादन मुश्किल से ही लगभग 6500 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था, जबिक एक्सटूजन कारखानों का उत्पादन 12,000 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था।

कैलेंडिरिंग तथा एक्सट्रूजन प्रिक्तिया से बनाई गई फिल्मों के उपभोक्ता तथा उसका प्रयोग दोनों ही एक समान है। इस लिए उपभोक्ता कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्मों का अधिक दाम देने के लिए तैयार नहीं होते। अखिल भारतीय कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्म निर्माताओं ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान समय-समय पर वित्त मंत्रालय, पेट्रो-लियम मंत्री महोदय तथा डी०जी०टी०डी० को अनेकों अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रथनों के उत्तर दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्णय में विलंब के कारण पी०वी०सी० वनाने वाले कई कारखाने बन्द हो गए हैं, जिसके फल-